भारत–पाकिस्तान ऐतिहासिक विवाद

डॉ0 चन्द्रशेखर श्रीवास्तव
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी जौनपुर
कल्पना सिंह
शोध–छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी जौनपुर

भारत और पाकिस्तान का जन्म पूर्व ब्रिटिश इंडिया के विभाजन से अगस्त 1947 में हुआ, इसलिए उन्हें एक प्रकार से जुड़वां भाई कहा जा सकता है। परन्तु इनकी विचित्रता यह है कि ये लड़ते हुए पैदा हुए थे और तब से लगातार शत्रुता निभाये जा रहे हैं।[1]

भारत–पाक संघर्ष की प्रकृति को सही रूप से समझने के लिए भारत विभाजन में निहित तथ्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन अपरिहार्य है। विभाजन की घटना ने दो समुदायों के बीच घृणा, अविश्वास और वैमनस्य को क्रूरतय ढंग से उजागर किया है। विभाजन के बाद सभी समस्याओं के स्वतः ही सुलझ जाने का सपना देखने वालों ने जब वास्तविकता पर नजर दौड़ाई तो उन्हें घोर निराशा हुई। पाकिस्तान के जन्म से समस्याएँ सुलझने की अपेक्षा अधिक उलझ गयी और इस महाद्वीप में नये संघर्ष का सूत्रपात हुआ तो अपनी प्रकृति से कहीं अधिक पेचीदा था। ***कुलदीप नैय्यर*** के शब्दों में, **''विभाजन के लिए आप किसी को भी दोषी ठहरायें, वास्तविकता यह है कि इस पागलपन ने दो समुदायों और दो देशों के बीच दो पीढ़ियों से भी अधिक समय तक के लिए सम्बन्धों में कड़वाहट उत्पन्न कर दी। दोनों देशों में हर विषय और हर कदम पर मतभेद बढ़ता गया और छोटी से छोटी बात ने बड़े विवाद का रूप धारण कर लिया।''** ***माईकल ब्रेशर*** ने ठीक ही लिखा है, **''भारत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे हैं।''**[2] ***जे0के0 बराल*** के अनुसार **''भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे से खतरा महसूस करते हैं क्योंकि ऐतिहासिक कारणों से दोनों में से कोई भी दूसरे पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। दोनों एक दूसरे पर आक्रामक इरादों का सन्देह करते हैं।''**[3]

भारतीय नेताओं को आशा थी कि देश के विभाजन से शान्ति और आपसी मेल–जोल को बढ़ावा मिलेगा और देश शान्ति, सद्भावना और सहयोग के वातावरण में आर्थिक विकास के लम्बे और कठिन कार्य में जुट जायेंगे। लेकिन पाकिस्तान के जन्म के साथ ही कुछ ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं, जिनके कारण प्रारम्भ से ही दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में कटुता आ गयी।[4] ये समस्याएँ थीं :–

1. हैदराबाद विवाद
2. जूनागढ़ विवाद
3. ऋण की अदायगी का प्रश्न
4. शरणार्थियों का प्रश्न
5. नहरी पानी विवाद
6. कश्मीर विवाद

1. हैदराबाद विवाद :–

हैदराबाद एक बड़े आकार वाली देशी रियासत थी जिसकी अधिकांश जनसंख्या हिन्दू थी। इसका निजाम मुसलमान था परन्तु हैदराबाद रियासत चारों ओर से भारतीय क्षेत्र से घिरी हुयी थी। निजाम एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की कल्पना कर रहा था यद्यपि वह यह आभास दे रहा था कि वह पाकिस्तान के साथ विलय के पक्ष में है। 29 नवम्बर, 1947 को भारत और हैदराबाद के मध्य एक तात्कालिक समझौता हुआ, जिसमें यह व्यवस्था थी कि 1947 के पूर्व भारत सरकार के साथ हैदराबाद के

जो सम्बन्ध थे वे एक वर्ष और चलते रहेंगे। इसके अन्तर्गत भारत सरकार को हैदराबाद की विदेश नीति, रक्षा और यातायात का संचालन करना था।

परन्तु निजाम ने इस यथास्थिति समझौते का पालन नहीं किया। उसने बिना भारत सरकार से पूछे भारत की प्रतिभूतियों (Securities) पर आधारित 20 करोड़ रूपये का ऋण पाकिस्तान को दिया। 23 मार्च, 1948 को भारत सरकार ने हैदराबाद के प्रधानमंत्री लायक अली को एक आरोप पत्र भेजा तथा यथास्थिति समझौते के उल्लंघनों को रोकने को कहा। परन्तु लायक अली ने उल्टे भारत पर आरोप लगाते हुए 5 अप्रैल, 1948 को उत्तर दिया कि ''भारत ने हैदराबाद के विरूद्ध आर्थिक नाकेबन्दी की हुई है।''

यही नहीं, निजाम के एक विश्वस्त अधिकारी कासिम रिजवी ने मुस्लिम धर्मान्धतावादियों का संगठन खड़ा कर दिया जो रजाकर कहलाते थे। उन्होंने हैदराबाद राज्य के गैरमुस्लिमों के विरूद्ध आतंक का राज्य कायम कर दिया। जब स्थिति बहुत बिगड़ गयी तब भारत ने मजबूर होकर हैदराबाद के विरूद्ध 13 सितम्बर, 1948 को पुलिस कार्यवाही की। इसे ''आपरेशन पोलो'' का नाम दिया गया और इसे गृहमंत्री सरदार पटेल के सीधे नियंत्रण में रखा गया और कार्यान्वित किया गया। कहीं नेहरू इसका अनुमोदन नहीं करें, इस आशंका से नेहरू को इस योजना से अवगत नहीं कराया गया।

भारतीय सेना ने 24 घण्टे में स्थिति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तथा पाँच दिन में कार्य पूरा हो गया। निजाम ने औपचारिक रूप से हैदराबाद को भारत में विलय की प्रार्थना की जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। भारत ने निजाम को 50 लाख रूपये प्रतिवर्ष प्रिवीपर्स देना स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान ने इसे आक्रमण की संज्ञा दी। उसने अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1948 में तीन बार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की कोशिश की परन्तु उसे अधिक समर्थन नहीं मिला।

2. जूनागढ़ विवाद :–

जूनागढ़ गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश में एक रियासत थी जिसकी 80% जनसंख्या हिन्दू थी परन्तु शासक महावत खाँ रसूल खाँ मुसलमान था। उसने रियासत का पाकिस्तान में विलय करने का निश्चय किया। इसे केम्पवेल जानसन जैसे लेखकों ने मूर्खतापूर्ण बताया क्योंकि जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान से 300 मील दूर है तथा बीच में भारतीय भू–भाग स्थित है। इस घोषणा के विरोध में जूनागढ़ की जनता ने सावलदास गाँधी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। नवाब भयभीत होकर अपने सरकारी खजाने सहित पाकिस्तान भाग गया। तीव्र आन्दोलन के कारण जूनागढ़ के तत्कालीन दीवान शाहनवाज भुट्टो ने 8 नवम्बर, 1947 को भारत में विलय किये जाने के लिए पत्र लिखा।

उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। 20 फरवरी, 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह भी कराया गया जिसमें 1,80,000 मतदाताओं में से 91 को छोड़कर सभी ने जूनागढ़ के भारत में विलय के पक्ष में मत दिया। परन्तु जूनागढ़ के प्रसंग से पाकिस्तान को भारत को बदनाम करने का तथा जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करने का बहाना मिल गया क्योंकि कश्मीर की अधिकांश जनता मुस्लिम थी जबकि शासक एक हिन्दू महाराजा था।

3. ऋण की अदायगी का प्रश्न :–

विभाजन के बाद भारत ने सौजन्यवश अविभाजित भारत के समस्त ऋणों को अपने ऊपर इस शर्त के साथ लिया कि पाकिस्तान पाँच वर्ष के अन्दर भारत को 300 करोड़ रूपये देगा परन्तु पाकिस्तान ने अपना वचन पूरा नहीं किया। दूसरी ओर भारत को 55 करोड़ रूपये रक्षा संग्रह के पाकिस्तान को देने थे परन्तु चूँकि पाकिस्तान 300 करोड़ रूपये की भारत को दी जाने वाली राशि नहीं दे रहा था तथा उसने कश्मीर में युद्ध भी प्रारम्भ कर दिया था अतः नेहरू और पटेल दोनों तब तक पाकिस्तान को 55 करोड़ रू0 की राशि देने के विरूद्ध थे जब तक पाकिस्तान भारत को दी जाने वाली 300 करोड़ रूपये की राशि के बारे में अपने वचनों को पूरा न करें परन्तु महात्मा गाँधी ने आमरण अनशन करके उन्हें यह

राशि पाकिस्तान को देने को विवश कर दिया, बहुत से लोगों ने महात्मा गाँधी के इस कार्य को अनुचित माना। कुछ लोगों का विचार है कि गोडसे द्वारा गाँधी जी की हत्या उनके इस निर्णय का परिणाम थी।

4. शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों की समस्याः–

धर्म के आधार पर भारत के विभाजन ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या को उग्र रूप प्रदान कर दिया। पाकिस्तान में हिन्दुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भीषण अत्याचार हुए जिससे एक बड़ी संख्या में उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में भी साम्प्रदायिक दंगे हुए जिनके कारण अनेक मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये। जो लोग अपना घर छोड़कर चले गये वे शरणार्थी या विस्थापित कहलाये और उनका पुनर्वास एक जटिल समस्या बन गया।

8 अप्रैल, 1950 को इस सम्बन्ध में अन्तर डोमिनियन समझौता (Inter-Dominion Agreement) या नेहरू–लियाकत समझौता हुआ जिसके अनुसार दोनों देशों ने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और उपद्रवों को रोकने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया परन्तु पाकिस्तान की सरकार ने इस समझौते का पालन नहीं किया क्योंकि वह हिन्दुओं को अपने देश से निकालकर उसे शुद्ध मुस्लिम देश बनाना चाहती थी। इसी प्रतिक्रियास्वरूप भारत के पुनर्वास और पूर्ति विभागों के मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू से यह मांग की कि या तो बंगाल का विभाजन ही अमान्य कर दिया जाये अथवा पाकिस्तान से विस्थापितों को बसाने के लिये भूमि मांगी जाये तथा दोनों देशों के धर्म के आधार पर जनसंख्या का पूर्ण विनिमय कर लिया जाये। पंडित नेहरू ने इस प्रस्तावों को अव्यावहारिक बताकर ठुकरा दिया। इस पर दो कैबिनेट मंत्रियों डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी और के0सी0 नियोगी ने नेहरू की नीति के विरोध में मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिये। पाकिस्तान में भी कैबिनेट के एक मात्र हिन्दू सदस्य जोगेन्द्र नाथ मंडल ने वहाँ हिन्दुओं के प्रति दुर्वव्यवहार के विरोध में त्यागपत्र दे दिया। अल्पसंख्यकों की समस्या एक लम्बे समय तक दोनों देशों के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न करती रही।

दोनों देशों में विस्थापित लोग अपने पीछे मकानों, दुकानों, भूमि, बैंक खाता आदि के रूप में भारी मात्रा में अपनी चल और अचल सम्पत्ति छोड़ आये थे। इसे निष्क्रान्त सम्पत्ति (Evacuee property) कहा जाता है। भारत आने वाले हिन्दू सिक्ख पाकिस्तान में 3000 करोड़ रूपये से अधिक की निष्क्रान्त सम्पत्ति छोड़ आये थे जबकि भारत से पाकिस्तान जाने वाले विस्थापित केवल 300 करोड़ रूपये की सम्पत्ति छोड़ कर गये थे। भारत ने पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति मांगी। वह स्वयं इस प्रकार की क्षतिपूर्ति देने को तैयार था। इस सम्बन्ध में दोनों देश के मध्य अनेक बार वार्तायें हुई पर उनका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला।

5. नहरी पानी विवादः–

विभाजन से पूर्व पंजाब को पाँच नदियों का प्रवेश कहा जाता था। विभाजन के पश्चात इनमें से झेलम और चिनाब के प्रारम्भिक भाग भारत में रहें जबकि इनका अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया। शेष तीन नदियों रावी, सतलज और व्यास के हेडक्वार्टर भारत में रह गयें। इन नदियों से 25 नहरें निकलती थी जिनमें से 20 भारतीय क्षेत्र में सिंचाई करती थी और एक नहर दोनों देशों में बहती थी। यदि भारत इन नदियों के पानी को रोक देता तो पाकिस्तान मरूस्थल में परिवर्तन हो जाता परन्तु भारत ने उदारता का परिचय दिया। 4 मई, 1948 को दोनो देशों में एक समझौता हुआ परन्तु 15 अगस्त 1950 में पाकिस्तान ने इस समझौते को तोड़ दिया। 27 मई, 1952 को दोनों देशों ने इस विवाद के समाधान के लिये विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजीन ब्लेक की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। उनके प्रयत्नों से 19 सितम्बर, 1960 को दोनों देशों को मध्य एक समझौता हो गया।

भारत–पाकिस्तान सिन्धु नदी पानी समझौता 1960 की मुख्य व्यवस्थाएँ निम्नलिखित थीं –

1. भारत को तीन पूर्वी नदियों– सतलज, रावी और व्यास के पानी के प्रयोग का पूरा अधिकार होगा।

2. पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों – चिनाब, झेलम और सिन्धु के पानी के उपयोग का पूरा अधिकार होगा।
3. विश्व बैंक तथा छः मित्र देश अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और पश्चिमी जर्मनी, भारत और पाकिस्तान दोनों को ही 1977 तक नई योजक नहरें बनाने के लिये धन देते रहेंगे।
4. भारत पाकिस्तान को नई नहरें और बाँध बनाने के लिए 100 करोड़ रूपये देगा।
5. भारत 10 वर्ष की अन्तरिम अवधि तक पाकिस्तान को एक धीरे–धीरे घटती हुई मात्रा में 1970 तक अपनी तीन नदियों अर्थात रावी, सतलज और व्यास से पानी देता रहेगा। यह अन्तरिम अवधि पाकिस्तान के अनुरोध पर तीन वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी, परन्तु उस अवस्था में भारत द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली राशि अनुपातिक रूप से घट जायेगी।

यह समझौता 12 जनवरी, 1961 को लागू हो गया। भारत पाकिस्तान का नदी नहरी जल विवाद समाप्त हो गया। नेहरू ने इसे एक स्मरणीय घटना कहा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब ने कहा कि ''वर्तमान परिस्थितियों में हमें जो मिल सकता था, यह उनमें सर्वश्रेष्ठ है।'' [5]

6. कश्मीर विवाद :–

भारत के विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्या में एक समस्या कश्मीर की भी थी। इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। कश्मीर की समस्या ने भारत–पाकिस्तान के आपसी सम्बन्धों को काफी तनावपूर्ण बनाये रखा है। इसी समस्या ने दोनों देशों के सम्बन्धों को इस सीमा तक भी तनाव में व्याप्त किया है कि उन्हें युद्ध करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है।

कश्मीर भारत के एक छोटे से उत्तरी भाग में 86,024 वर्गमील में फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या 44 लाख थी। यहाँ की तीन चौथाई जनसंख्या मुस्लिम और शेष हिन्दू, सिक्ख और बौद्ध थी। यहाँ के शासक महाराजा हरि सिंह थे। 15 अगस्त, 1947 के पूर्व लॉर्ड माउण्टबेटन के परामर्श के बाद महाराजा ने भारत तथा पाकिस्तान किसी का भी पक्ष ग्रहण नहीं किया। महाराजा को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि वे पाकिस्तान में मिले तो भारत सरकार इसे अमैत्रीपूर्ण नहीं मानेगी। इतना कहने के पश्चात् भी महाराजा भारत और पाकिस्तान दोनों में नहीं मिले। वह चाहते थे कि भारत व पाकिस्तान दोनों के साथ यथापूर्ण संधि पर हस्ताक्षर करें किन्तु यथार्थ में उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही ऐसा किया। महाराजा कश्मीर के विलय के बारे में कुछ भी निर्णय न कर सके क्योंकि उनके मार्ग में एक बड़ी बाधा यह थी कि उनकी रियासत का सारा यातायात सम्बन्ध पाकिस्तान से बना हुआ था। कश्मीर की आय का प्रमुख साधन जंगल थे। सारी लकड़ी पाकिस्तान में बहने वाली नदियों से होकर जाती थी। रियासत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से सम्बन्धित थी। इधर भारत और कश्मीर के बीच कोई पक्का रास्ता नहीं था। यहाँ की आबादी अधिकतर मुस्लिम होने के कारण वह भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। यदि वह पाकिस्तान में शामिल हो जाता तो जम्मू और लद्दाख की अधिकांश हिन्दू जनता तथा शेख अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेन्स उनके विरूद्ध हो जाती। इन परिस्थितियों में महाराजा ने लॉर्ड माउन्टबेटन को लिखा कि पाकिस्तान तथा कश्मीर के हित में सबसे अच्छी बात यह है कि कश्मीर स्वतन्त्र रहे।

जिन्ना को कश्मीर की स्वतन्त्रता गले नहीं उतर रही थी। वह उसे पाकिस्तान में मिलाने का इच्छुक व उत्सुक था। इसके परिणामस्वरूप 22 अक्टूबर, 1947 को कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए उत्तर–पश्चिमी सीमाप्रान्त के कबीलों को प्रोत्साहित किया गया। उन्हें पाकिस्तान में से गुजरने का मार्ग दिया गया तथा उनके लिए आधुनिक हथियारों की भी आपूर्ति की गई।

उस समय कश्मीर रियासत के पास बहुत थोड़ी सेना थी। बी0पी0 मेनन ने लिखा है कि कश्मीर के सब मुस्लिम सैनिक रियासती सेना छोड़कर चले गए। उनमें से अनेक सैनिक पाकिस्तानियों के साथ जा मिले। कश्मीर के मुख्य सेनापति ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह ने 150 जवानों के साथ उड़ी क्षेत्र में आक्रमणकारियों को रोकने का प्रयास किया। दो दिन तक उन्होंने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया किन्तु अन्त

में वे वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गये। जब कबायली आक्रमणकारी श्रीनगर के नजदीक आ गए तो 24 अक्टूबर, 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से तत्काल सैनिक सहायता की प्रार्थना की। 26 अक्टूबर, 1947 को उन्होंने मिलन–समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। उस समय लार्ड माउन्टबेटन कश्मीर में सेना भेजने के पक्ष में नहीं थे। पण्डित जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी कश्मीर को विनाश से बचाने हेतु तुरन्त सेना भेजना आवश्यक समझते थे। 27 अक्टूबर, 1947 को भारत सरकार ने कश्मीर में अपनी सेनाएँ भेजी और राज्य के अधिकांश भाग को आक्रमणकारियों से मुक्त करा दिया। पाकिस्तान ने भारत पर कई आरोप लगाये। भारत ने भी कई प्रत्यारोप लगाये। अन्त में लार्ड माउन्टबेटन की सलाह पर भारत सरकार ने कश्मीर विवाद सुरक्षा परिषद में भेज दिया। सरदार बल्लभ भाई पटेल कश्मीर विवाद को सुरक्षा परिषद में भेजने से सहमत नही थे।[6] संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1 जनवरी, 1949 को युद्ध विराम करा दिया।

पाकिस्तान ने अधिकृत कश्मीर से अपनी सेना नहीं हटाई। इसलिए वहाँ जनमत संग्रह नहीं हो पाया। जो क्षेत्र भारत सरकार के अधीन हैं, वहां उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो चुकी है। भारत अधिकृत कश्मीर को संविधान सभा ने भारत के साथ विलय की अन्तिम स्वीकृति दे दी। अब यह भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। भारतीय संविधान 27 जनवरी, 1957 से कश्मीर पर लागू किया गया। इसमें कश्मीर की विधानसभा के लिए पाक–अधिकृत कश्मीर के प्रतिनिधियों के लिए भी स्थान सुरक्षित रखे गए।

पाकिस्तान पाश्चात्य राष्ट्रों के समर्थन के बल पर बार–बार कश्मीर के प्रश्न को सुरक्षा परिषद में उठाता रहा, लेकिन भारत के दृढ़ रवैये और न्याय का पक्ष लेते हुए सोवियत संघ द्वारा किये जाने वाले निषेधाधिकार के प्रयोग के कारण उसके कुटिल उद्देश्य पूरे न हो सके। सितम्बर, 1965 और दिसम्बर, 1971 के भारत–पाक युद्धों के बाद स्थिति में निर्णायक परिवर्तन आया और पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि सुरक्षा परिषद के माध्यम से भारत पर कोई निर्णय थोपने की बात सोचना व्यर्थ होगा।[7]

मई, 1999 को पाकिस्तान ने एक बार फिर ऐसा कृत्य किया जिससे दोनों देशों के मध्य गहरी खाई बन गई। 1999 में पाकिस्तान ने जम्मू–कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठिए भेजकर नियन्त्रण रेखा का उल्लंघन किया। इन घुसपैठियों ने पूर्व निर्धारित योजना से हमला करते हुए भारतीय सेना के आयुध भण्डार को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया फिर भी इन घुसपैठियों को नियन्त्रण रेखा के उस ओर ढकेलने में भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। भारत की सेना ने साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के आगे पाकिस्तानी घुसपैठियों को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा तथा 11 जुलाई, 1999 को युद्ध रोक दिया गया।[8]

वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए कश्मीर विवाद एक कठिन चुनौती बनकर सामने आया। यद्यपि वह इस प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्धों को तो शान्त कर सका तथादि पश्चिमी शक्तियों के पक्षपात पूर्ण रवैये के कारण इस महान संस्था के गौरव और सम्मान को आघात ही पहुँचा। न्याय और निष्पक्षता का तकाजा है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ पाकिस्तान को उसके द्वारा बलात रूप से कब्जा की गयी कश्मीर की भूमि से हटाने की कार्यवाही करें। पाकिस्तान जम्मू–कश्मीर में पृथकतावादी, आतंकवादी और अलगाँववादी शक्तियों को सक्रिय रूप से सभी सम्भव सहायता प्रदान करके भारत की कठिनाइयों को बढ़ाता रहा है। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मंचो पर यह स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू–कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और इस पर किसी से कोई समझौता नहीं कर सकता है।[9]

इस प्रकार भारत–विभाजन के पश्चात् कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हुई। मुख्य रूप से जूनागढ़ विवाद, हैदराबाद विवाद, कश्मीर विवाद, नहरी जल विवाद और शरणार्थियों की समस्याएं थी। इनमें से जूनागढ़, हैदराबाद, नहरीजल विवाद और अनेक समस्याओं का निराकरण आपसी बातचीत से

दोनों देशों ने आजादी एवं विभाजन के 10 वर्षों बाद तक कर लिया हैं। कश्मीर का विवाद एक ऐसा विवाद है जिसका निराकरण आज तक दोनों देश नहीं कर पाए हैं। दोनों देशों के मध्य तनाव भी सबसे अधिक इस मुद्दे को लेकर है। दोनों देशों के बीच प्रत्येक वार्ता चाहे वह विदेश सचिव स्तर की हो, चाहे वह प्रधानमंत्री स्तर की, किसी परिणाम या सम्बन्ध सुधारने के प्रत्येक प्रयास में एक ही बाधा कश्मीर का विवाद मुख्य रूप से उभरकर सामने आया है।

भारतीयों और पाकिस्तानियों की वर्तमान पीढ़ियों के लिए भूतकाल को भूलना और पड़ोसी के प्रति सामान्य रूप विकसित करना सरल नहीं है। इन सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए सकारात्मक सोच व सहीं मानसिकता तथा दृढ़ इच्छाशक्ति का होना बहुत आवश्यक है। भारत व पाकिस्तान सर्वशक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के रूप में अस्तित्व में आये और उन्होंने अपना कार्य आरम्भ किया। इन दोनों देशों ने धीरे–धीरे अपने आपको कई मामलों, उलझनों में फसा कर रख दिया तथा आपसी सम्बन्धों में कड़वाहट पैदा करके रख दी। इन सम्बन्धों को सामान्य बनाने हेतु सकारात्मक सोच, सही मानसिकता, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कट्टरवादिता के स्थान पर उदारता की भावना का होना अति आवश्यक है।

सन्दर्भ–सूची

1. पी0डी0 कौशिक, भारत की विदेश नीति पृ0सं0 110
2. डॉ0 बी0एल0 फडिया, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धान्त एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे पृ0सं0 293
3. जे0के0 बराल, इन्टरनेशनल पालिटिक्स, पृ0सं0 16
4. डॉ0 बी0एल0 फड़िया, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धान्त एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे पृ0सं0 294
5. पी0डी0 कौशिक, भारत की विदेश नीति, पृ0पृ0 113–117
6. आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री, राष्ट्रनिर्माता सरदार पटेल, पृ0सं0 155
7. डॉ0 मथुरा लाल शर्मा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, पृ0सं0 60
8. प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर 2010, पृ0सं0 288
9. डॉ0 मथुरा लाल शर्मा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, पृ0सं0 60